सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005
मैन्युअल

वर्ष 2010–2011 की अद्यतन स्थिति में
(धारा 4 (1) के अन्तर्गत)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय इन्दौर म0प्र0

– अनुक्रमणिका –

1.	कार्य एवं कर्तव्य ।
2.	अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य ।
3.	निर्णय लिए जाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन • Rules of Business
4.	कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड • मंत्रालयीन कार्य प्रणाली पुस्तिका • म.प्र. शासन के कार्य (आवंटन नियम) • म.प्र.कार्यपालक शासन के कार्य नियम
5.	नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकार्डो की सूची जिनका उपयोग कार्यो के निर्वहन के लिए किया जाता है।
6.	नियंत्रण मे रखे गये अधिकारिक दस्तावेज।
7.	निति निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के सबंध मे जनता के सदस्यो के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व (निरंक)
8.	समितियों के बारे मे जानकारी ।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देषिका ।
10.	अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक विनियमों में प्रदान की गई प्रणाली की क्षतिपूर्ति सहित।
11.	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें योजनाएं आदि शामिल हैं।
12.	सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबंध (निरंक)
13.	रिवायते परमिटया के प्राप्तकर्ता के विवरण, लोकप्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान (निरंक)
14.	इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में उपलब्ध सूचना ।
15.	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपतन्य सुविधाओं का विवरण पुस्तकालय रिडिंग रूम इयादि ।
16.	सहायक लोक सूचना अधिकारी, सोका सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।
17.	अन्य उपयोगी जानकारी

	• पुरस्कार • विशिष्टता सूची • पदों की जानकारी • विभागीय जांच • सूचना का अधिकार अध्ययन रिपोर्ट • थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट • वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन • पुस्तकालय
18.	निविदाए
19.	सार्वजनिक निजी साझेदारी (निरंक)
20.	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
21.	आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण
22.	सीएजी और पीएसी पैरा (निरंक)
23.	सेवा प्रदाय एक्ट
24.	डिस्केशनरी और नॉन–शिनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान
25	सीएम मंत्रियों अधिकारियों के विदेशी दौरे (निरक)

1. कार्य एवं कर्तव्य

कार्य :–

कार्यालय के कार्य क्षेत्र जिला इन्दौर तथा धार में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के तहत मुख्य रूप से विकास अनुज्ञा, भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र एवं भू–व्यपवर्तन अभिमत, प्रदान करने का कार्य किया जाना है। इसी अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण, आदि को उनकी योजनाओं के संदर्भ में तकनिकी परामर्श/अभिमत प्रदान किया जाता है।

कर्तव्य :–

नगरों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के द्वारा दिए गए लक्ष्य अनुसार नगरों की विकास योजनाऐं तैयार करना कार्यालय का महत्वपूर्ण दायित्व है।